

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार

अनुसूची 14 - फारम सं० 562।

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक / ता०..... से तक

जिला- बोकारो, सं० १० सन् २०१९-२०

जिला- बिकारा, सत
केस का प्रकार- नालायक पत्र वाद (बैठ)

केस का प्रकार	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
आदेश की क्रम सं० और तारीख		3
1	प्रबंधक <u>मालवीय स्टेशनेर मधुनाथ ए. बोकारो</u> शाखा, जिला बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता को द्वारा देनदार <u>श्री राम प्रसाद लालमाली, पिता श्री शशांक लालमाली</u> <u>उमर - 30 वर्ष, पेशा - मजदूर, निवासी - बसपा, जिला - बोकारो</u> जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि <u>34907.00</u> की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया। साथ ही "कोर्ट फी" रुपये <u>3272.00</u> कुल <u>38179.00</u> रुपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें। नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें। अभिलेख दिनांक <u>16/04/2025</u> को उपस्थापित करें।	
	नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी कसमार।	